प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रथम अपील सं. 193/ 2016

एस. एम. उमक (संजय मधुकरराव उमक), पिता- श्री एम. जी. उमक, आयु- लगभग 40 वर्ष , निवासी- 144, सड़क सं. 144, वार्ड सं. 11, रामनगर कोहका, थाना व ड़ाक -सुपेला, भिलाई, राजस्व और सिविल जिला - दुर्ग, छत्तीसगढ़।

... अपीलार्थी/ वादी

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. कालू राम (मृत), द्वारा- विधिक प्रतिनिधि, माननीय न्यायालय के 22-10-2021 दिनांकित आदेश अनुसार।

1.1 - कांता प्रसाद सिन्हा @ परघानिया, पिता- स्वर्गीय श्री कालू राम, निवासी- ग्राम भरदाकला, थाना- अर्जुंडा, तहसील गुंडरदेही, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़।

2 - योगानंदन यादव, पिता- स्वर्गीय श्री रामप्रसाद यादव, निवासी- 12- आदर्श नगर, थाना व जिला- पूर्वी सिंहभूमि जमशेदपुर, झारखंड।

3 - छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- कलक्टर, दुर्ग, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़।

..... प्रत्यर्थी/ प्रतिवादी

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री योगेश सी. पाण्डेय, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से	:	कोई उपस्थित नहीं, यद्यपि नोटिस तामील
प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से	:	श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं. 2 (राज्य) की ओर से	:	श्री राहुल तमस्कर, शासकीय अधिवक्ता

खण्ड पीठ - माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

माननीय न्यायमूर्ति श्री सचिन सिंह राजपूत

पीठ पर निर्णय

04.08.2025

संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश

1. अपीलार्थी/वादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के तहत यह प्रथम अपील दायर की है, जिसमें व्यवहार वाद सं. 49-क/2013 में विद्वान षष्ठम् अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और डिक्री की वैधता और शुद्धता पर प्रश्न उठाया गया है, जिसके द्वारा वादी के वाद को उस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है क्योंकि उस न्यायालय ने उस वाद में कोई सार नहीं पाया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(सुविधा हेतु एतस्मितन पश्चात् पक्षकारों को उनकी स्थिति और अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र में दी गई स्थिति एवं श्रेणी के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।)

2. वादी ने संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए और यह घोषणा करने के लिए एक वाद दायर किया कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में निष्पादित 24.06.2008 दिनांकित विक्रय विलेख, जिससे वाद भूमि का एक भाग अलग हो जाता है, अमान्य है और स्थायी निषेधाज्ञा और कब्जे के लिए अन्य बातों के साथ यह कहते हुए कि उसने प्रतिवादी सं. 1 के साथ 29/05/2003 को ग्राम कोहका, शांति नगर में स्थित खसरा सं. 5243 वाली क्षेत्र 2.02 हेक्टेयर अर्थात् 5 एकड़ भूमि के संबंध में एक करार किया, जिसके लिए उन्होंने रु. 50,000/- की अग्रिम राशि का भुगतान किया तथा यह सहमति हुई कि प्रतिवादी सं. 1 करार के तारीख अर्थात् 31/05/2005 से दो वर्ष के भीतर वाद भूमि का सीमांकन कराएगा और इसे वादी के पक्ष में पंजीकृत कराएगा और उसके बाद, शेष प्रतिफल प्रतिफल राशि रु. 3,50,000/- प्रति एकड़ रुपये की दर से जो कुल रु.17,17,000/- होगा (रु. 50,000/- को छोड़कर), प्राप्त करेगा। परन्तु दो वर्ष पूरे होने

के बाद भी, प्रतिवादी सं. 1 ने वाद भूमि का सीमांकन नहीं कराया और इसलिए विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया जा सका। वादी द्वारा आगे यह अभिवाक् किया गया है कि वह संविदा के अपने भाग का निष्पादन करने हेतु तैयार और रजामंद था परन्तु 24/06/2008 को प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में एक विक्रय विलेख निष्पादित किया और खसरा सं. 5243 क्षेत्र 0.80 हेक्टेयर अर्थात् 2 एकड़ वाली वाद भूमि का एक हिस्सा उसे बेच दिया, जिसके कारण उपरोक्त अनुतोषों के लिए यह वाद दायर किया गया।

3. प्रतिवादी सं. 1 ने अपना लिखित कथन प्रस्तुत कर वादपत्र के कथनों का विरोध करते हुए कहा कि वादी के पास आवश्यक विक्रय प्रतिफल नहीं था इसलिए वह संविदा के अपने भाग का पालन करने हेतु तैयार और रजामंद नहीं था। आगे यह कहा गया कि उसने वादी की सहमति से प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया, इस प्रकार, वाद खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. प्रतिवादी सं. 2 ने भी अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया और कहा कि वह वाद भूमि का वास्तविक क्रेता है क्योंकि संविदा के विनिर्दिष्ट पालन की अवधि 31/05/2008 को समाप्त हुई और उसके बाद, उसने प्रतिवादी सं. 1 से 24/06/2008 को 2 एकड़ वाद भूमि खरीदी है। उसने आगे कहा है कि वादी का वाद परिसीमा द्वारा वर्जित है अतः वाद खारिज किए जाने योग्य है।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने 8 विवाद्यक तैयार किए और उनका निम्नानुसार उत्तर दिया :-

वाद प्रश्न	निष्कर्ष

1) क्या वादी एवं प्रतिवादी क्र. 1 के मध्य वादग्रस्त भूमि ख. न. 5243 रकबा 5.02 एकड़ बाबत तारीख 29/05/2023 को विक्रय अनुबंध निष्पादित हुआ था?	"हाँ"
2) क्या उक्त विक्रय अनुबंध के परिपेक्ष्य में वादी द्वारा प्रतिवादी क्र. 1 को 50,000/- रुपेये (पचास हजार रुपये) की अग्रिम राशि बतौर बयाना दी गई थी?	"हाँ"
3) क्या वादी उभयपक्षों के मध्य निष्पादित विक्रय अनुबंध तारीख 29/05/03 के मर्मभूत निबंधनों का, जो उसके द्वारा पालन किए जाने है, उसने पालन कर दिया है, अथवा पालन करने के लिये वह सदा तैयार और रजामंद रहा है?	"नहीं"
4) क्या वादी द्वारा नियमानुसार न्यायशुल्क अदा नहीं किया है?	"हाँ"
5) क्या इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है?	"नहीं"
6) क्या प्रस्तुत वाद समयावधि में है?	"नहीं"
7) क्या वादी वांछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है?	"नहीं"
8) सहायता एवं वाद व्यय?	वादी का दावा कण्डिका 39 के अनुसार अस्वीकार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. कुल मिलाकर, विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि वादी और प्रतिवादी सं. 1 ने खसरा सं. 5243 क्षेत्र 5.05 एकड़ वाली वाद भूमि के संबंध में 29/05/2003 को विक्रय का करार किया, जिसके लिए वादी ने रु. 50, 000/- का प्रतिवादी सं. 1 को भुगतान किया, यद्यपि, वादी संविदा के अपने भाग का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद नहीं था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि वादी ने उचित न्यायालय शुल्क

का भुगतान नहीं किया है और उसका वाद परिसीमा द्वारा वर्जित है, जिसके कारण वादी द्वारा यह प्रथम अपील दायर की गई है।

7. अपीलार्थी/वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश सी. पाण्डेय निवेदन करते हैं कि वाद परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 54 के तहत नियत परिसीमा के भीतर था और चूंकि प्रतिवादी सं. 1 ने विक्रय के करार में सहमत वाद की भूमि का सीमांकन नहीं किया था, इसलिए विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया जा सका और प्रतिवादी सं. 1 संविदा की शर्तों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी है क्योंकि उसने प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में वाद की भूमि के एक भाग को अलग कर दिया था, जो मनमाना और अवैध है।वह आगे प्रस्तुत करेगा कि वादी द्वारा उचित न्यायालय शुल्क का भुगतान किया गया है क्योंकि उसने केवल प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा निष्पादित दिनांकित विक्रय विलेख को शून्य एवं अकृत घोषित करने की मांग की है और वह स्वयं विक्रय विलेख का पक्षकार नहीं था, अतः आक्षेपित निर्णय व डिक्री को अपास्त दिया जाना चाहिए। वह अपनी दलील को पुष्ट करने के लिए **रत्नावती व एक अन्य बनाम कविता गणशामदास**[1] के मामले में सर्वोच्च न्यालालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. प्रतिवादी/प्रतिवादी सं. 1 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, यद्यपि नोटिस तामील हुई थी।

9. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी सं. 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल निवेदन करते हैं कि प्रतिवादी सं. 2 वाद की भूमि के उस भाग का वास्तविक खरीदार है जिसे उसने प्रतिवादी सं. 1 से उचित प्रतिफल का भुगतान कर खरीदा है, वह भी 26/06/2008 को, अर्थात् 31/05/2008 को संविदा के विनिर्दिष्ट पालन की अवधि समाप्त होने के बाद, ऐसे में अपील खारिज किए जाने योग्य है।

---

1 (2015) 5 SCC 223

10. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, ऊपर दिए गए उनके तर्क- वितर्कों पर विचार किया है और अत्यंत सावधानी के साथ अभिलेख का परिशीलन किया है।

11. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेख को परिशीलन करने के बाद इस अपील में निर्धारण हेतु निम्नलिखित बिंदु हैंः-

(1) क्या अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना उचित है कि वादी संविदा के अपने भाग का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद नहीं था?

(2) क्या वादी का वाद परिसीमा से वर्जित था?

(3) क्या वादी द्वारा उचित न्यायालय शुल्क का भुगतान किया गया है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>प्रश्न सं. 1 का उत्तर</u> :-

12. बार में उठाई गई अभिवाक् पर विचार के लिए, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (इसके बाद "1963 का अधिनियम") की धारा 16 (ग) पर इसके 01/10/2018 दिनांकित संसोधन से पहले गौर करना उचित होगा, जिसमें निम्नानुसार कहा गया हैः-

> **"16. अनुतोष का वैयक्तिक वर्जन** - संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं कराया जा सकता -
>
> (क) व (ख)
>
> (ग) जो यह साबित करने में असफल रहे कि उसके संविदा के उन निबंधनों से भिन्न जिनका पालन प्रतिवादी द्वारा निवरित अथवा अधित्यक्त किया गया है, ऐसे मर्मभूत निबंधनों का, जो उसके द्वारा पालन किए जाने हैं, उसने पालन कर दिया है अथवा पालन कर दिया है अथवा पालन किए जाने है, उसने पालन कर दिया है अथवा पालन करने के लिए वह सदा तैयार और रजामंद रहा है।"

13. किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के अभिवाक् को लागू करने के लिए, यह पक्ष पर बाध्यकारी है कि वह यह साबित करे कि उसने संविदा की आवश्यक शर्तों का पालन किया है या पालन करने हेतु सदैव तैयार और रजामंद रहा है। 1963 के अधिनियम की धारा 16 (ग) वादी की भाग "तैयारी और रजामंदी" को अनिवार्य करती है और यह विनिर्दिष्ट पालन के प्रदान करना से अनुतोष प्राप्त करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। विनिर्दिष्ट पालन के लिए एक वाद में, संविदा की तारीख से अपनी भाग संविदा का पालन करने के लिए निरंतर "तैयारी और रजामंदी" साबित करने की जिम्मेदारी वादी पर होती है।

14. "तैयारी" और "रजामंदी" शब्दों मध्य विभेद है और जबकि दोनों विनिर्दिष्ट पालन के लिए एक वाद के लिए आवश्यक हैं, "तैयारी" का अर्थ है संविदा करने की क्षमता जिसमें उसकी वित्तीय स्थिति भी शामिल होगी जबकि "रजामंदी" ऐसे पक्ष के आचरण से संबंधित है। "तैयारी और रजामंदी" की जांच करने के लिए, वाद दायर करने से पहले और बाद में पक्ष का आचरण सुसंगत हो जाता है। हम दोनों पद अर्थात् "तैयारी और रजामंदी" परवर्तमान प्रकरण के संदर्भ में एक-एक कर चर्चा करेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"<u>तैयारी</u>"

15. प्रस्तुत प्रकरण में, प्रतिवादी सं. 1 के स्वामित्व वाले खसरा सं. 5243 क्षेत्र 5.05 एकड़ वाली भूमि को तारीख 1 की विक्रय के लिए करार का विषय बनाया गया था और इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि वादी रुपये की दर से राशि का भुगतान करेगा। 3,50,000-प्रति एकड़ जो कुल रू 17,67,000-और प्रतिवादी सं. 1 दो वर्ष के भीतर उक्त वाद भूमि का सीमांकन करवा लेगा, यद्यपि, केवल रु. 50, 000/- का भुगतान वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को अग्रिम राशि के रूप में किया गया है और वादपत्र में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उसके बाद उसने प्रतिवादी सं. 1 को कोई भुगतान किया है या उसके पास प्रतिवादी सं. 1 को शेष शेष राशि का भुगतान करने की वित्तीय

क्षमता है और न ही यह साबित करने के लिए कि वह प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में विक्रय प्रतिफल का भुगतान करने में वित्तीय रूप से सक्षम है, उसकी बैंक पासबुक आदि जैसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा विक्रय के लिए करार की तारीख से डिक्री की तारीख तक अपनी तैयारी दिखाई जानी चाहिए थी कि उसके पास संविदा के अपने भाग का पालन करने हेतु आवश्यक निधि और प्रश्नाधीन राशि अर्थात् रु. 17,17,000/- (रु. 50, 000/- को छोड़कर) का भुगतान करने की वित्तीय क्षमता थी यद्यपि, संविदा के अपने भाग का पालन करने के लिए उनकी तैयारी को प्रदर्शित करने के लिए इस संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाया गया है। उसने केवल प्रतिवादी सं. 1 को वाद भूमि का सीमांकन नहीं कराने के लिए दोषी ठहराया है और कहा है कि इस तरह, वह संविदा के अपने भाग का पालन नहीं कर सका और विक्रय विलेख को निष्पादित नहीं कर सका। इस प्रकार, वादी यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि वह संविदा के अपने भाग का पालन करने के लिए तैयार था, यह दर्शाते हुए कि वह विक्रय प्रतिफल राशि का भुगतान करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"<u>रजामंदी</u>"

16. स्वीकृत तौर पर, विक्रय के करार को वादी और प्रतिवादी सं. 1 द्वारा 29/05/2003 (प्र. **P**/1) को निष्पादित किया गया था और उस करार द्वारा संविदा के पालन के लिए नियत तिथि करार की तारीख अर्थात् 31/05/2005 से दो वर्ष थी। इसके बाद, वादी ने कोई कार्रवाई नहीं की, यहां तक कि एक विधिक नोटिस भी जारी कर प्रतिवादी सं. 1 को नहीं दिया गया और अंततः, उसके द्वारा 29/07/2008 को अर्थात् विक्रय के लिए करार की तारीख से 5 वर्ष पूरे होने के बाद, देर से प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा, वादी द्वारा यह साबित करने के लिए कुछ भी अभिलेख पर नहीं लाया गया है कि उसने संविदा के अपने भाग का पालन करने के लिए शेष प्रतिफल राशि का भुगतान करने के लिए विक्रय के करार की तारीख से वाद दायर करने की तारीख तक 5 वर्ष की इस

अवधि में प्रतिवादी सं. 1 से कभी संपर्क किया हो और वादी द्वारा इस संबंध में कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

17. इस स्तर पर, **<u>पाइडी रमना उर्फ रामुलु बनाम दवारसेटी मनमाधा राव</u>**[2] के मामले में सर्वोच्च न्यालालय द्वारा दिए गए निर्णय को यहां लाभप्रद रूप से देखा जा सकता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि वादी द्वारा करार की तारीख से वाद दायर करने की तारीख तक उठाए गए कदमों को निम्नानुसार समझाया और देखा जाना होगा :-

> **"**19. उपरोक्त निर्णय का तर्क प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों पर लागू होगा। विक्रय का करार (प्र. **A**-1) को 7-6-1993 को निष्पादित किया गया था और विक्रय-विलेख के निष्पादन के लिए नियत तिथि वाद अनुसूचित संपत्ति के मापन की तारीख से एक वर्ष थी। निर्विवाद रूप से ऐसा कोई उपाय नहीं किया गया था और वादी ने करार के निष्पादन की तारीख से इस संबंध में कोई भी प्रयास नहीं किया है जब तक उसे 30-5-1996 दिनांकित विधिक नोटिस जारी नहीं किया गया जो लगभग 3 वर्ष की अवधि के लिए है और परिसीमा की समाप्ति के अंतिम छोर पर केवल 9-6-1997 को वाद प्रस्तुत किया गया। किसी समझदार व्यक्ति से अपेक्षित कोई भी उचित कदम नहीं उठाने में लंबे समय तक अस्पष्टीकृत विलंब ही वादी को एक न्यायसंगत अनुतोष के लिए अयोग्य घोषित करने के लिए पर्याप्त है।[3] इसमें कोई संदेह नहीं है कि विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 54 के तहत नियत परिसीमा की अंतिम तिथि पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यद्यपि, इस अवधि के दौरान अर्थात् करार की तारीख से वाद दायर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2 (2024) 7 SCC 515

3 U.N. Krishnamurthy v. A.M. Krishnamurthy, (2023) 11 SCC 775

करने की तारीख तक, वादी द्वारा उठाए गए कदम, को वाद में समझाना होगा और उस साक्ष्य में साबित करना होगा जिसका प्रस्तुत प्रकरण में अभाव है।"

18. प्रस्तुत प्रकरण में, वादी विक्रय के लिए करार (प्र. **P**/1) की तारीख अर्थात् 29/05/2003 से वाद दायर करने की तारीख अर्थात् 29/07/2008 तक पांच वर्ष के विलंब तथा उक्त अवधि में संविदा के अपने भाग का पालन करने के लिए उसके द्वारा क्या कदम उठाए गए थे को समझाने में विफल रहा है और इस प्रकार, उपरोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि वादी संविदा के अपने भाग का पालन करने की अपनी रजामंदी को साबित करने में विफल रहा है और इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष कि वादी रजामंद नहीं था और इसके विपरीत अपने भाग का पालन करने के लिए रजामंद नहीं था, पूरी तरह सारवान है और एतद्द्वारा हम विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज उक्त निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>प्रश्न सं. 2 का उत्तर</u> :-

19. स्वीकृत तौर पर, 29/05/2003 दिनांकित करार (प्र. **P**/1), संविदा के पालन की अवधि दो वर्ष के भीतर अर्थात् 31/05/2005 थी और उस अवधि के भीतर, सीमांकन प्रतिवादी सं. 1 द्वारा किया जाना था और वादी को रु. 17,17,000/- का विक्रय प्रतिफल के रूप में प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में भुगतान किया जाना था, परन्तु न तो प्रतिवादी सं. 1 द्वारा सीमांकन किया गया था और न ही वादी द्वारा विक्रय प्रतिफल का भुगतान किया गया अतः वादी द्वारा 29/07/2008 को अर्थात् विक्रय के लिए करार की तारीख से 5 वर्ष पूरे होने के बाद वाद प्रस्तुत किया गया था,।

20. इस स्तर पर, परिसीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 54 के तहत निहित प्रावधान को यहां लाभप्रद रूप से देखा जा सकता है :-

	वाद का विवरण	परिसीमा की अवधि	समय जिससे अवधि प्रारंभ होती है
54.	किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु।	तीन वर्ष	पालन के लिए नियत की गई तारीख, या यदि ऐसी तारीख नियत नहीं की गई है तो जब वादी को यह सूचना हो जाए कि पालन से इन्कार कर दिया गया है।

21. उपरोक्त अनुच्छेद का सावधानीपूर्वक परिशीलन यह दर्शाता है कि जब संविदा के पालन हेतु समय नियत किया जाता है, तो समय पक्षों द्वारा स्पष्ट रूप से नियत तारीख से चलना प्रारंभ हो जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. **<u>अहमदसाहब अब्दुल मुल्ला (2) (मृत), द्वारा प्रस्तावित विधिक प्रतिनिधि बनाम बीबीजान व अन्य</u>**[4] के मामले में सर्वोच्च न्यालालय के माननीय न्यायमूर्तियों के समक्ष विचारार्थ प्रश्न यह था कि क्या परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 54 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "तारीख" का उपयोग कैलेंडर में एक विशिष्ट तारीख (तारीख) का संकेत है?" जिसका माननीय न्यायमूर्तियों ने सकारात्मक उत्तर दिया और पैराग्राफ 10,11 और 12 में निम्नानुसार टिप्पणी की :-

> "10. "नियत" का मूल अर्थ है अंतिम या स्पष्ट प्रारूप या चरित्र जो परिवर्तन या उतार-चढ़ाव के अधीन न हो।
>
> 11. अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि अभिव्यक्ति "पालन हेतु नियत तारीख" एक स्पष्ट धारणा है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि दूसरा भाग "वह समय जिससे अवधि प्रारंभ होती है" एक ऐसे प्रकरण को संदर्भित करता है जहां ऐसी कोई तारीख नियत नहीं है। इसे अलग तरह से

4 (2009) 5 SCC 462

कहने के लिए, जब तारीख नियत की जाती है तो इसका अर्थ है कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक निश्चित तारीख नियत है। यहां तक कि दूसरे भाग में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि "जब वादी को यह सूचना हो जाए कि पालन से इन्कार कर दिया गया है"। यहाँ फिर से, एक निश्चित समय होता है, जब वादी इन्कार कर दिया गया है। इस अर्थ में दोनों भाग निश्चित तारीखों का उल्लेख करते हैं। इसलिए, अन्य परिस्थितियों से आशय का पता लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

12. तारीख नियत की गई थी या नहीं, वादी को यह सूचना हुई कि पालन से इन्कार कर दिया गया है और इसकी तारीख अभिलेख पर लाई जाने वाली सामग्री और साक्ष्य के संदर्भ में स्थापित की जानी है। अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 54 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "तारीख" निश्चित रूप से कैलेंडर में एक निर्दिष्ट तारीख का संकेत देती है। हम संदर्भ का उत्तर उसी के अनुसार देते हैं। इस मामले को अब गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए युगल पीठ के समक्ष रखा जाएगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. प्रकरण के तथ्यों की ओर लौटते हुए, यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि इसमें पक्षकारों ने संविदा के पालन के तारीख अर्थात् करार के तारीख से दो वर्ष के भीतर अर्थात् 31/05/2005 तक नियत की थी और उसके बाद, परिसीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 54 के तहत उपबंधित परिसीमा की अवधि जो तीन वर्ष है, संविदा के पालन के लिए नियत तिथि अर्थात् 31/05/2005 से चलने लगी और यह 30/05/2008 पर समाप्त हुई, यद्यपि, वादी द्वारा 29/07/2008 को वाद प्रस्तुत किया गया था और यह स्पष्ट रूप से परिसीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 54 के पहले भाग से प्रभावित था। इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा

अभिलिखित उक्त निष्कर्ष कि वादी का वाद स्पष्ट रूप से परिसीमा द्वारा वर्जित है, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तथ्य का निष्कर्ष है जो न तो विकृत है और न ही अभिलेख के विपरीत है। हम एतद्द्वारा विचारण न्यायालय के उक्त निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

<u>प्रश्न क्र. 3 का उत्तर</u> :-

24. अंत में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि वादी ने उचित न्यायालय शुल्क का भुगतान नहीं किया है जैसा कि उसने प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख की घोषणा को शून्य एवं अकृत घोषित करने का अनुतोष मांगा है, यद्यपि उक्त विक्रय विलेख को रद्द किए जाने की मांग नहीं की गई है अतः उसके द्वारा आवश्यक न्यायालय शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. सर्वोच्च न्यालालय ने **<u>सुहरिद सिंह उर्फ सरदूल सिंह बनाम रणधीर सिंह व अन्य</u>**[5] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि जब वादी गैर-निष्पादक है/विक्रय विलेख में पक्षकार नहीं है, तो विक्रय विलेख की घोषणा में अनुतोष की मांग करना पर्याप्त होगा और उसे विक्रय विलेख में उल्लिखित विक्रय प्रतिफल पर मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

26. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष कि वादी ने उचित न्यायालय शुल्क का भुगतान नहीं किया है, गलत है। चूंकि वादी, विक्रय विलेख में गैर-निष्पादक होने के नाते, केवल 26.06.2008 दिनांकित विक्रय विलेख को अकृत और शून्य घोषित किए जाने की मांग की थी, अतः हमारा मत है कि उसके द्वारा आवश्यक न्यायालय शुल्क का भुगतान किया गया है और इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष सही नहीं है।

<u>निष्कर्ष</u> :-

---

5 (2010) 12 SCC 112

27. उपरोक्त विधिक विमर्श और विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह सुविचारित मत है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/वादी वाद को यह अभिनिर्धारित करते हुए उचित रूप से खारिज किया है कि यह परिसीमा द्वारा वर्जित है और वादी संविदा के अपने भाग का पालन करने हेतु तैयार और रजामंद नहीं था। हम सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के तहत अधिकारिता के प्रयोग में आक्षेपित निर्णय व डिक्री में ऐसी कोई दुर्बलता/अवैधता नहीं पाते हैं जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

28. यह प्रथम अपील, सारहीन होने के कारण, खारिज किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है। वाद- व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

29. तदनुसार एक डिक्री तैयार की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/-
(सचिन सिंह राजपूत)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**